

|                                                                                                   |                                                                                                |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <br>सत्यमेव जयते | <b>राजस्थान राजपत्र</b><br><b>विशेषांक</b>                                                     | <b>RAJASTHAN GAZETTE</b><br><b>Extraordinary</b> |
|                                                                                                   | <b>साधिकार प्रकाशित</b>                                                                        | <b>Published by Authority</b>                    |
|                                                                                                   | ज्येष्ठ 12, मंगलवार, शाके 1948- जून 02, 2026<br>Jyaistha 12, Tuesday, Saka 1948- June 02, 2026 |                                                  |

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

**सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग**

अधिसूचना

जयपुर, मई 21, 2026

जी.एस.आर.15 :- “राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना-2020” में निम्न संशोधन किये जाते हैं:-

**01. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ:-**

(1) इन नियमों का नाम “राजस्थान वरिष्ठ अधिस्वीकृत पत्रकार सम्मान योजना (संशोधन) नियम-2026” होगा।

(2) यह संशोधन तुरन्त प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

**02. वर्तमान नियमों के बिन्दु संख्या-1 एवं बिन्दु संख्या-6 में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है:-**

**बिन्दु सं. 1.** ऐसे पूर्णकालिक अधिस्वीकृत पत्रकार जो किसी दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, स्वतंत्र पत्रकार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी में कम से कम 20 वर्षों तक सवैतनिक कार्य करते रहे हों (दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक समाचार पत्र, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं समाचार एजेन्सी के सम्पादक, प्रकाशक व मालिक सहित) और उनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो, को 15,000/- रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि के स्थान पर 18,000/- रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी, प्रतिस्थापित किया जाता है।

**बिन्दु सं. 6.** पात्र अधिस्वीकृत पत्रकार को 15,000/- रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि के स्थान पर 18,000/- रुपये प्रतिमाह की सम्मान राशि दी जायेगी, प्रतिस्थापित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना वित्त (व्यय) विभाग की आई.डी. संख्या: 332600639 दिनांक 16.04.2026 से प्राप्त सहमति के आधार पर जारी की जाती है।

[संख्या प.7( )सम्पर्क/2026]

राकेश शर्मा,

आयुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव,

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,

राजस्थान, जयपुर।